



2026/AHC-LKO:41036

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 4428 वर्ष 2026

सुरेंद्र कुमार सिंह उर्फ छोटू

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संत सिंह, सुधीर कुमार

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 480/2022, धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना-कोतवाली, जिला- उन्नाव में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मामले की अपर्याप्त पैरवी के कारण, आवेदक को गैंग चार्ट

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में उल्लिखित मामले में दोषी ठहराया गया था। आवेदक को गिराहबंद अधिनियम से संबंधित इस मामले में फंसाया गया है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदक ने अपराध करके कोई संपत्ति अर्जित की हो, फिर भी आरोपपत्र दाखिल किया गया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक 6.05.2022 से जेल में है, लेकिन आज तक केवल एक गवाह की जांच की गई है। अंत में उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है और आवेदक मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि आवेदक इस मामले में 6.05.2022 से जेल में है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और जमानत आवेदन की सामग्री तथा अन्य प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि आवेदक 6.05.2022 से जेल में है, लेकिन आज तक केवल एक गवाह की ही जांच की गई है। अतः यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है।

6. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दिए गए बयान के मददेनजर कि आवेदक किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो कानून के खिलाफ है, उ० प्र० गिराहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 19 (4) के तहत निहित दोहरी शर्तें संतुष्ट हैं।

7. उपरोक्त के मददेनजर, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. आवेदक, **सुरेंद्र कुमार सिंह उर्फ छोटू** को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 480/2022 में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक किसी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, परीक्षण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भा०दं०सं०/269 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं०प्र०सं०/84 भा०ना०सु०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-क भा०दं०सं०/209 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (क) मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (ख) आरोप तय करने; और (ग) धारा 313 दं०प्र०सं०/351 भा०ना०सु०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि परीक्षण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो परीक्षण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

9. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और निचली अदालत जमानत रद्द करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

10. उपरोक्त निर्देशों के साथ, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

जून 12, 2026

अर्पण

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।